



भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में स्पेन को हराकर भारत के लिए चौथा ब्रॉन्ज मैडल जीत लिया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में टोक्यो ओलंपिक 2020 के प्रदर्शन को दोहराया है। भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुये स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रचा है। पहले क्वार्टर के दौरान भारत ने नौ बार आक्रामक तरीके से स्पेन के संकर्त में प्रवेश किया लेकिन गोल करने में सफल नहीं हुये। इसके बाद स्पेन ने दूसरे क्वार्टर में फिर से आक्रामक शुरूआत करते हुए केवल तीन मिनट बाद मिले पैनल्टी स्ट्रोक का फायदा उठाते हुए 18वें मिनट में गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी। दूसरे क्वार्टर में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने पैनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर मुकाबले में 1-1 से बराबरी कर ली। तीसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत ने 33वें मिनट में गोल दाग कर भारतीय टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी और भारत ने अंत तक इस बढ़त को कायम रखकर यह मुकाबला जीत लिया। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन खेलों में यह भारत का चौथा कांस्य पदक है और पुरुष हॉकी में यह 13वां ओलंपिक पदक है। म्यूनिख ओलंपिक 1972 के बाद यह पहली बार है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक पदक जीते हैं। ओलंपिक में मिली इस जीत के साथ ही भारतीय गोलकीपर पी.आर श्रीजेन्द्र संन्यास ले लिया। भारतीय हॉकी टीम ने एस्टर्डम ओलंपिक 1928 में स्वर्ण, लॉस एंजलिस 1932 में स्वर्ण, बर्लिन 1936 में स्वर्ण, लंदन 1948 में स्वर्ण, हैलसिंकी 1952 में स्वर्ण, मैलबर्न 1956 में स्वर्ण, रोम 1960 में रजत, टोक्यो 1964 में स्वर्ण, मेकिसको सिटी 1968 में कांस्य और म्यूनिख 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में कांस्य और पेरिस 2024 में कांस्य जीता है।

चंद्रबाबू नायडू के अमित शाह को किये
गये फोन के बाद, वक्फ बोर्ड संशोधन
विधेयक संसद में पेश होने से रुका

शायद पहली बार भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार किसी विधेयक को पेश करने का मन बना लेने के बाद पीछे हटी है

-श्रानन्द झा-
-राष्ट्रदूत दल्ली व्युरो-
नई दिल्ली, ४ अगस्ता घटनाक्रम
आये एक अप्रत्याशित मोड़ के अन्तर्गत
केद्र सरकार ने 'वक्फ़ अमेंडमेंट बिल'
एक संयुक्त संसदीय कमेटी को सं-
दिया। ज्ञातव्य है कि विपक्ष ने प्रस्ताव
संसोधनों का कड़ा विरोध किया था तथा
एन.डी.ए गठबंधन के घटक त-
तेलुगुदेशम पार्टी (टी.डी.पी.) ने इन

- प्रस्तावित विधेयक में एक प्रमुख बात यह है कि वक्फ बोर्ड के अधिकारी पर कुछ अंकुश लगाते हुए, जिलाधीश को अधिकार दिये हैं, नियम कायदे बनाने के।
 - साथ ही कुछ गैर मुस्लिम व्यक्तियों को और महिलाओं को वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाने का भी प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। कांग्रेस के सांसद वेणुगोपाल ने गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड की गवर्निंग समिति का सदस्य बनाने का विरोध किया और कहा, “जब राम मंदिर के निर्माण के लिये समिति का गठन किया गया था, तो क्या गैर हिन्दुओं को उस समिति का सदस्य बनाया गया था।”
 - अखिलेश यादव ने इस संदर्भ में कहा, भाजपा को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था, अतः अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लाकर भाजपा, अपने कट्टरपंथी (हार्ड लाइनर) खेमे को खुश करना चाहती है।
 - विपक्ष के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है, वक्फ बोर्ड के चारों में नामांगण कराए जा और उन्हाँ द्वारा यहाँ संसदीय कानूनों में आवश्यकता नहीं।

इस मुद्दे पर डा.डॉ.पा. प्रभुख
एन.चन्द्रबाबू नायडू के एतराज के बाद सरकार ने इसे 'होल्ड' पर रखने का निर्णय ले लिया। इस मुद्दे पर चन्द्रबाबू नायडू एवं गुरुमनी अमित शाह के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। इसे एक दुर्लभ अवसर ही कहा जायेगा, जब भाजपा के नेतृत्व वाली एन.डी.ए.

राहुल गांधी ने
पार्टी सांसदों की
मीटिंग ली

- संसद परिसर में हुई इस बैठक में राहुल ने बांग्लादेश और चीन के मसले पर चर्चा की तथा पार्टी सांसदों से जनता के मुद्दे उठाने की अपील की।

गोगोई, पार्टी महासचिव (संगठन प्रभारी) के सी. वेणुगोपाल के साथ मिलकर बैठक की अध्यक्षता करने वाले राहुल ने पार्टी सांसदों से अपील की कि वे जनता से जुड़े मुद्दे संसद में उठाए। राहुल गांधी ने बाद में एक्स पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

<p>सरकार ने अपने किसी विधेयक पर उद्देश्य राज्य वक़फ़ बोर्डों के अधिकारों अपने कदम पीछे हटा लिये हैं।</p> <p>वक़फ़ अधिनियम, 1995 में 44 को नियम तैयार करने के अधिकार देना संशोधन प्रस्तावित करने के बाद यह था। इसके अलावा, वक़फ़ बोर्डों में गैर-विधेयक तैयार किया गया था। अन्य मुस्लिमों तथा महिलाओं को शामिल चीजों के अलावा, इन संशोधनों का किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।</p>	<p>में कटौती करना तथा जिला मजिस्ट्रेटों संगठित प्रहर करते हुये, इसे “असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी” बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक़फ़ बोर्डों के संचालन से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)</p>	<p>विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर संगठित प्रहर करते हुये, इसे “असंवैधानिक एवं मुस्लिम-विरोधी” बताया है। विपक्ष ने कहा है कि केन्द्र के पास वक़फ़ बोर्डों के संचालन से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)</p>	<p>लगातार दो आलाम्पक्ष में पदक जीता है, यह बात उनकी उपलब्धि को और खास बनाती है। शर्मा ने कहा कि ढुढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत एवं टीम भावना से प्राप्त यह ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए गौरव का विषय है।</p> <p>जानकारी के अनुसार, ओम कासिंग फैक्टरी में लोहा ढलाई का कार्य किया जाता है। गुरुवार सुबह लोहा ढलाई के कार्य के दौरान फैक्टरी में लगे बॉयलर (भट्टी) में तेज धमाके की आवाज के साथ ही विस्फोट हो गया, जिससे फैक्टरी में हड्डियों के बहाँ काम करने वाले मजदूर बचाव के लिए भागने लगे, लेकिन बॉयलर (भट्टी) के पास काम करने वाले मजदूर ज़ुलस गये। हादसे की सूचना मिलते ही कालाडेरा थाना पुलिस ने मय जप्त घटना स्थल पर पहुंच कर घायलों के</p>
---	--	---	--

केन्द्रीय मंत्री रिजीजू ने यह भी दावा किया कि इन नेताओं का कहना था कि वक्फ जमीनों पर साफिया का कब्जा है और बिल लाकर आप इन जमीनों को साफिया के कब्जे से मक्तु कर रहे हैं।

■ किरन रिजीजू ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, वक्फ संसद सुदूरपूर्वी बंधोपाध्याय ने कहा कि विपक्षी दल अपनी आंदोलनिक चर्चा करें, और हितधारकों को बुलाए उनकी राय सुनें, विधेयक को कमेटी आयोग में लाएं ताकि विधायिकों में वासना बढ़ सके।

नई दल्ला, 8 अगस्ता लाकसमा
में आज पेश हुए वक्फ (संशोधन)
विधेयक 2024 को व्यापक जांच के
लिए जॉइन्ट पारिलयामैन्टरी कमेटी
(जे.पी.सी.) के पास भेजने के लिए
के बाद विषयक न गुलबार का विरोध
प्रदर्शन किया और कांग्रेस सांसद के.सी.
वेणुगोपाल ने इसे “कठोर” एवं
संविधान पर हमला बताया।
रिजिञ के विधेयक पेश करने की
बिल में किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप का कोई
उल्लेख नहीं है।

■ संशोधित विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास
है कि विधेयक का उद्देश्य एवं कारणों

विधेयक विमाजनकारी, असचावानक
एवं गैर संबंधी है।

द्रमुक सांसद कनिमोई ने विधेयक
का विरोध करते हुए कहा कि “यह
संविधान, एक धार्मिक अल्पसंख्यक
अनुसार यह विधेयक वक्फ वा

दृढ़प्रतिज्ञ विपक्ष ने मोदी सरकार को बाध्य कर दिया। विधेयक को संसद में पेश करने वाले केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष द्वारा इस विधेयक को असंवैधानिक बताकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद इसे व्यापक जांच के लिए जे.पी.सी. के पास भेजे का प्रस्ताव रखा।

मान्ग के तुरन्त बाद वेणुगोपाल ने इसे पेश किए जाने के विरोध में नोटिस देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है और इसके जरिए देश के संघीय सिस्टम पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने भाजपा को उसकी विभाजनकारी राजनीति को लेकर एक सबक सिखाया था, लेकिन

किया गया है कि वक्फ बोर्ड में माहिलाओं व गर मुस्लिमों को भी प्रतिनिधित्व मिले।

वह हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सैन्यल वक्फ बोर्ड काउन्सिल तथा ऐसे ही अन्य निकायों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन है।

समाजवादी पार्टी के सांसद गैर-मुस्लिमों ने नदवी ने कहा कि यह समुदाय तथा देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह किसी भी तरीके से न्याय नहीं दे रहा है। मंत्री रिजिजू ने विपक्ष के भारी शोरशराबा करने के बाद संसद को बताया कि “सरकार एक संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करेगी और विधेयक को व्यापक जांच के लिए उसके पास भेजेगी। विधेयक पर वृहद् जायदाद के बारे में निर्णय लेने की वक्त बोर्ड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को समाप्त कर चाहता है।

रिजिजू ने विधेयक के पक्ष में दाकिया कि विपक्ष के कई सीनियर नेताओं ने विधेयक को निजी तौर पर मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि “विपक्ष मुस्लिमों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- किरन रिजीजू ने कहा कि विपक्षी दल मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि, वक्फ बिल में किसी भी धार्मिक संस्था में हस्तक्षेप का कोई उल्लेख नहीं है।
- संशोधित विधेयक में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं व गैर मुस्लिमों ने भी नियमित स्थिति में।

वह हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति जारी रखे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि यह विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उहोंने कहा कि सैन्ट्रल वक़फ बोर्ड काउन्सिल तथा ऐसे ही अन्य निकायों में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति मुस्लिमों के अधिकारों का उल्लंघन है।

तृणमूल कांग्रेस (टी.एम.सी.) सांसद सुदौष बंधोपाध्याय ने कहा कि विधेयक विभाजनकारी, असंवैधानिक एवं गैर संघीय है। चर्चा करें, और हितधारकों को बुला उनकी राय सुनें, विधेयक को कमटी पास भेजें तथा भविष्य में हम उन सज्जावों को खले दिल से सुनेंगे।

द्रमुक सांसद कनिमोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि “यह संविधान, एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय तथा देश की संघीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह किसी भी तरीके से न्याय नहीं दे रहा है।

मंत्री रिजिजू ने विपक्ष के भारी शोरशराब करने के बाद संसद को बताया कि “सरकार एक संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन करेगी और विधेयक को व्यापक जांच के लिए उसके पास भेजेगी। विधेयक पर वृद्ध

बकफ (संशोधन) विधेयक 2024 के उद्देश्य एवं कारणों अनुसार यह विधेयक बकफ व जायदाद के बारे में निर्णय लेने की बवांड की शक्तियों से संबंधित वर्तमान कानून की धारा 40 को समाप्त कर चाहता है।

रिजिजू ने विधेयक के पक्ष में दाकिया कि विपक्ष के कई सीनियर नेताओं ने विधेयक को निजी तौर पर मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि “विपक्ष मुस्लिमों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हैदराबाद में नॉन वैज
की डिलिवरी से
इनकार है स्थिगी को

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 8 अगस्त। तेलंगाना

की राजधानी हैदराबाद, यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कई ग्लोबल कैपेचिलिटी सैटर्स हैं और आधुनिक तकनीक के साथ काम कर रहे हैं, को एक सदियों पुरानी धार्मिक सांस्कृतिक समस्या का

- कस्टमर्स का कहना है कि स्विंगी व अन्य ऐप्स के डिलिवरी

एग्जिक्यूटिव पूछते हैं, पैकेट में क्या है, अगर नॉन वैज होता है तो ऑडर नहीं लेते हैं।